रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082020-221444
CG-DL-E-29082020-221444

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2605] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2020/भाद्र 6, 1942
No. 2605] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2020/BHADRA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2020

का.आ. 2936(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 36 (अ), तारीख 2 जनवरी, 2018, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 3 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य 1030.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो आंध्र प्रदेश राज्य के दो राजस्व जिलों (श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर और कडपा) में स्थित है। श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य "बडवेल- श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर सड़क" के नाम से विदित

दो महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रों के बीच स्थित है जो कि दक्षिण में रपूर-चितवेल सड़क मार्ग, पूर्व में पोडालाकूर सोमासिला मार्ग, दक्षिण में कडापा राजमपेट मार्ग और पश्चिम में सिद्धवतम बडवेल मार्ग पर उत्तर से होकर गुजरता है। यह अभयारण्य तीन वन मंडलों अर्थात् गुंटूर, कुरनूल और वन्यजीव प्रबंधन मंडल तिरुपति तथा चार वन संभागों अर्थात् नेल्लोर, राजमपेट, कडपा और प्रोद्दात्तूर में फैला हुआ है;

और, श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य 14.161530 और 14.677480 उ अक्षांश और 78.984510 और 79.629500 पू देशांतर के बीच स्थित है। अभयारण्य में दो बड़े जल निकाय अर्थात्, कंडलेरू जलाशय और सोमासिला जलाशय सम्मिलित हैं;

और, श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य को आंध्र प्रदेश सरकार के दिनांक 15.09.1997 के ई.एफ एंड एस.टी (III के लिए) जी. ओ एम. एस. सं. 106, के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) की धारा 18 के उपबंध के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था;

और, यह अभयारण्य अनन्वेषित जैव विविधता, विशेष रूप से लुप्तप्राय हो चुकी वनस्पतियों और उनसे सम्बद्ध जीवजन्तुओं के लिए समृद्ध आवासीय क्षेत्र है। यह अभयारण्य विविध प्रकार की वनस्पति और जीवजन्तुओं का आश्रय स्थल है तथा भू-रुपात्मकता के मोज़ेक से अलंकृत है। इसके अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी हैं जिसमें पठार, चट्टानें, घाटियां और गहरी घाटियां हैं, जिनमें शुष्क पर्णपाती वन पाये जाते हैं और घास कम उगती है। इसके आसपास शुष्क कांटेदार और शुष्क सदाबहार वन हैं;

और, नेल्लोर, राजमपेटा, कडपा और प्रोद्दात्तूर संभागों के वनों में मुख्य रूप से बेहतर शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रजातियां *पेटरोकार्पस सैंटालिनस, एनोजीसस लेटिफोलिया, टर्मिनलिया टोमेंटोसा, पेटरोकार्पस मार्सूपियम, हार्डविक इबिनटा, क्लोरोक्ज़िलोन स्वेएटेनिआ, लैनिया ग्रैंडिस, बोसवेलिया सारटा, डाल्बर्गिया पॅनिकुलटा, ज़िइज़फस ज़ीलॉपीरस, लेगरस्ट्रॉमीया पर्विफ्लोरा* आदि, हैं;

और, अभयारण्य की स्थलाकृति ऐसी है जो विभिन्न सूक्ष्म और दीर्घ पर्यावासों जिनमें विविध जीवजन्तुओं को आश्रय मिलता है के अस्तित्व को सक्षम बनाती है। ऊपरी पठारों, मध्य में ऊंचे पहाड़ी ढलानों के साथ आसपास के शुष्क क्षेत्रों, असंख्य पहाड़ी धाराओं, घाटियों और गहरी घाटियों, चट्टान-आश्रयों, वन भूमि, बांस के वनों का कारण यहां वन्यजीवों की विविध प्रजातियाँ रहती हैं। भू-भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार, यह क्षेत्र इंडो-मलायन क्षेत्र (सीआईएस-गांगेय उप-क्षेत्र) के अंतर्गत आता है और भारतीय जीवजन्तुओं जैसे कि काला हिरन (*एनिलेटोप कर्विकापरा*) और चौसिंगा मृग (*टेट्रासरस क्वैडिकोरिन*) आदि का मूल आवास है;

और, प्रमुख प्रजातियों में पेंथेरा (*पेंथेरा पर्दस*), जंगली कुत्ता (*लाइकाकोन पिक्टस*) आदि जैसी प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख प्रजातियों का अन्य उदाहरण चमगादड़ है;

और, श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

और, राज्य सरकार द्वारा 28 मार्च ,2019 को प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की गई थी। तथापि, भारतीय निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता और 1 जुलाई, 2019 को उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना 545 दिन पूरी हुई के कारण अंतिम अधिसूचना की

प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए रुकी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उपनियम (4) के अधीन अंतिम अधिसूचना प्रदत्त शक्तियों के प्रकाशन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहाँ गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता के बिना आंध्र प्रदेश राज्य में श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर और कडपा श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 909.6147 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिन्दुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) शहरी विकास;
(iv) पर्यटन;
(v) नगरपालिका;
(vi) लोक निर्माण विभाग;
(vii) राजस्व;
(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
(ix) ग्रामीण विकास;
(x) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(xi) कृषि; और
(xii) पंचायती राज।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्याकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय

नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और सैरगाह के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

IndiaCode

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषण करने वाले उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएंगी ।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अधीन तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी: परन्तु यह कि जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों और लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	प्लास्टिक बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।

IndiaCode

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन अनुज्ञात होगा ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
29.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग, आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

क्र. सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	कलेक्टर, कडप्पा वाईएसआर जिला	-अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामांकित किए जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(iii)	संभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), प्रोड्दातुर	–सदस्य;
(iv)	गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
(v)	क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार	–सदस्य;
(vi)	आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
(viii)	उपवन संरक्षक (अभयारण्य के प्रभारी)	–सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय .- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में भी आते हैं जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं। उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति हेतु केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देशित करेगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/34/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ.सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश राज्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के उत्तर पश्चिम कोण में स्थित स्टेशन सं. 1 से आरंभ होकर और यह श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ चार संभागों अर्थात् प्रोद्यत्तुर, एसपीएसआर नेलोरे, राजमपेट और वाईएसआर कडपा से होते हुए जाती है।

उत्तर (भाग I): पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा मानचित्र पर दर्शाए गए प्रोद्यत्तुर संभाग के स्टेशन सं. 1 से आरंभ होती है। स्टेशन सं. 1 की जीपीएस रिडिंग 14.68722^0उ एवं 079.14410^0पू है और प्रोद्यत्तुर संभाग को स्टेशन सं. 5 तक पूर्व दिशा की ओर जाती है। स्टेशन सं. 5 की जीपीएस रीडिंग 14.61786^0उ एवं 079.18982^0पू है।

उत्तर (भाग II): पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा जीपीएस रीडिंग 14.61786^0उ एवं 079.18982^0पू के साथ उत्तर में एसपीएसआर नेलोरे संभाग में स्टेशन सं. 5 से आरंभ होकर और यह वाईएसआर कडपा और एसपीएसआर नेलोरे के बीच जिला सीमा के साथ स्टेशन सं. 7 से उत्तर दिशा की ओर जाती है, जो संभाग सीमा भी है। इसके बाद सीमा स्टेशन सं. 7 से पूर्व की ओर जाती है और उत्तर-पूर्व किनारे पर स्टेशन सं. 9 तक पहुँचती है।

पूर्व: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा स्टेशन सं. 9 से होते हुए जाती है जो जीपीएस रीडिंग 14.61953^0उ एवं 079.30532^0पू है और एसपीएसआर नेलोरो संभाग में स्टेशन सं. 18 से दक्षिण दिशा की ओर जाती है। स्टेशन सं. 18 की जीपीएस रिडिंग 14.26801^0उ एवं 079.60914^0पू है।

दक्षिण (भाग I): पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा स्टेशन सं. 18 से होकर और स्टेशन सं. 24 से पश्चिम की ओर जाती है जो जीपीएस 14.12657^0उ एवं 079.44342^0पू है। अंततः स्टेशन सं. 24 से वाईएसआर कडपा की जिला सीमा से मिलती है, जो राजमपेट संभाग की संभाग सीमा भी है।

दक्षिण (भाग II): पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा स्टेशन सं. 24 से दक्षिण दिशा में राजमपेट और जिला सीमा के साथ जाती है। इसके बाद सीमा दक्षिण-पश्चिम दिशा के साथ जाती है, और स्टेशन 30 और 31 के बीच वाईएसआर कडपा संभाग से मिलती है।

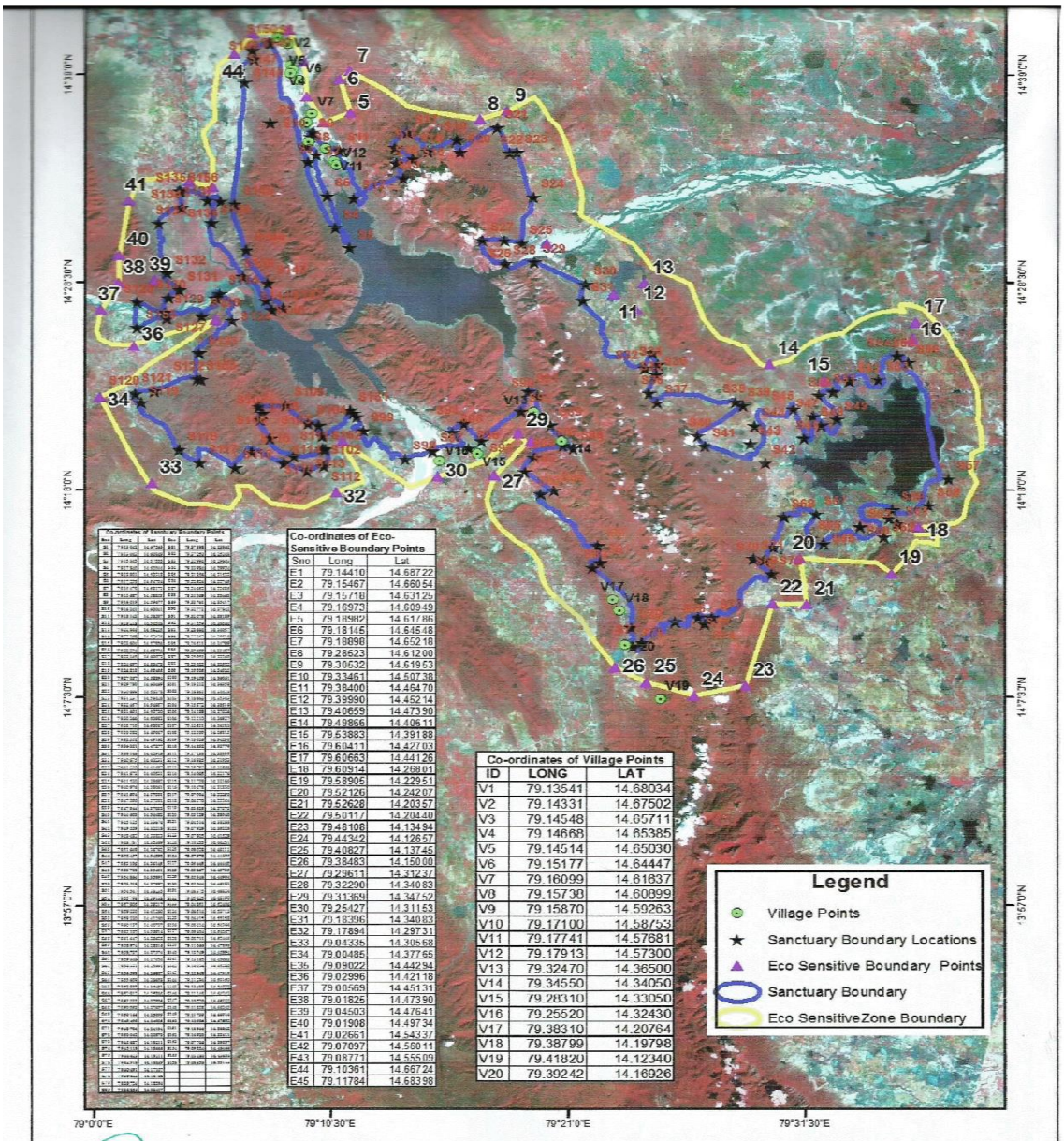
दक्षिण (भाग III): पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा स्टेशन सं. 30 और 31 के बीच वाईएसआर कडपा संभाग में प्रवेश करती है और स्टेशन सं. 33 जीपीएस रीडिंग 14.30568^0उ एवं 079.04335^0पू से पश्चिमी दिशा की ओर जाती है।

पश्चिम: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा पश्चिमी दिशा में स्टेशन सं. 33 से आरंभ होकर, उत्तर दिशा की ओर जाती है। सीमा रेखा उत्तरी दिशा में जाकर और स्टेशन सं. 45 पहुँचती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा प्रोद्यत्तुर संभाग में स्टेशन सं. 45 पर समाप्त होती है जो जीपीएस रीडिंग 14.68398^0उ एवं 079.11784^0पू है और सीमा के नजदीक स्टेशन सं. 1 से मिलती है।

IndiaCode

उपाबंध-II

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



DFO Kadapa

DPO (PAC) WLM DIVISION RAJAMPET

D.F.O. Nellore(T)

DFO Wlife PRODDATUR.

उपाबंध-III

सारणी क: श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	बिंदु कोड	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1.	एस1	79.13042	14.67563
2.	एस2	79.13042	14.60849
3.	एस3	79.15845	14.57555
4.	एस4	79.17840	14.52044
5.	एस5	79.18901	14.50318
6.	एस6	79.17238	14.54704
7.	एस7	79.16478	14.58173
8.	एस8	79.15687	14.58853
9.	एस9	79.16019	14.59677
10.	एस10	79.16241	14.60041
11.	एस11	79.18142	14.58537
12.	एस12	79.19218	14.54546
13.	एस13	79.22844	14.56225
14.	एस14	79.22369	14.57476
15.	एस15	79.23604	14.57856
16.	एस16	79.22274	14.58774
17.	एस17	79.23145	14.60073
18.	एस18	79.24697	14.58473
19.	एस19	79.26819	14.59455
20.	एस20	79.27057	14.58394
21.	एस21	79.29780	14.60469
22.	एस22	79.30699	14.58378
23.	एस23	79.31237	14.58426
24.	एस24	79.32457	14.54657
25.	एस25	79.31601	14.50730
26.	एस26	79.30366	14.50983
27.	एस27	79.28719	14.50967
28.	एस28	79.30382	14.49067

IndiaCode

29.	एस29	79.32552	14.49162
30.	एस30	79.36321	14.47277
31.	एस31	79.36146	14.45916
32.	एस32	79.40675	14.40231
33.	एस33	79.41230	14.41497
34.	एस34	79.41673	14.40531
35.	एस35	79.41530	14.39692
36.	एस36	79.40976	14.38061
37.	एस37	79.41594	14.37301
38.	एस38	79.47390	14.37381
39.	एस39	79.47944	14.37032
40.	एस40	79.44603	14.34482
41.	एस41	79.45125	14.33674
42.	एस42	79.49559	14.32218
43.	एस43	79.48482	14.33833
44.	एस44	79.48767	14.35369
45.	एस45	79.51649	14.36762
46.	एस46	79.52457	14.34292
47.	एस47	79.53106	14.36145
48.	एस48	79.53708	14.35401
49.	एस49	79.54864	14.35891
50.	एस50	79.53518	14.37887
51.	एस51	79.54547	14.38235
52.	एस52	79.55798	14.39138
53.	एस53	79.57905	14.39217
54.	एस54	79.59330	14.41260
55.	एस55	79.59330	14.41260
56.	एस56	79.60137	14.40737
57.	एस57	79.63107	14.30914
58.	एस58	79.61647	14.28638
59.	एस59	79.58974	14.28316
60.	एस60	79.58727	14.27574
61.	एस61	79.59346	14.27054

IndiaCode

62.	एस62	79.58331	14.25991
63.	एस63	79.56599	14.26807
64.	एस64	78.55659	14.26658
65.	एस65	79.53927	14.25421
66.	एस66	79.52912	14.25866
67.	एस67	79.53333	14.27895
68.	एस68	79.50958	14.27697
69.	एस69	79.50166	14.25099
70.	एस70	79.49498	14.24035
71.	एस71	79.48706	14.24134
72.	एस72	79.50042	14.22873
73.	एस73	79.45687	14.19211
74.	एस74	79.45118	14.18666
75.	एस75	79.44623	14.19211
76.	एस76	79.42916	14.18839
77.	एस77	79.40491	14.17107
78.	एस78	79.39823	14.16786
79.	एस79	79.39724	14.18394
80.	एस80	79.36854	14.23417
81.	एस81	79.37398	14.23862
82.	एस82	79.37250	14.25248
83.	एस83	79.32994	14.29603
84.	एस84	79.33984	14.29924
85.	एस85	79.31856	14.31533
86.	एस86	79.32524	14.32745
87.	एस87	79.34652	14.33685
88.	एस88	79.35369	14.33463
89.	एस89	79.33761	14.35417
90.	एस90	79.32771	14.37842
91.	एस91	79.32078	14.38189
92.	एस92	79.31559	14.36580
93.	एस93	79.28664	14.34057
94.	एस94	79.27352	14.35516

IndiaCode

95.	एस95	79.26511	14.34799
96.	एस96	79.27699	14.33487
97.	एस97	79.25051	14.33240
98.	एस98	79.23022	14.32522
99.	एस99	79.19905	14.34923
100.	एस100	79.19459	14.36061
101.	एस101	79.19212	14.36358
102.	एस102	79.16861	14.34428
103.	एस103	79.16663	14.35343
104.	एस104	79.15872	14.35516
105.	एस105	79.14189	14.37026
106.	एस106	79.12210	14.36927
107.	एस107	79.12531	14.36382
108.	एस108	79.12309	14.35813
109.	एस109	79.13026	14.34230
110.	एस110	79.14832	14.32770
111.	एस111	79.17133	14.33339
112.	एस112	79.16985	14.31953
113.	एस113	79.15797	14.31508
114.	एस114	79.14065	14.32176
115.	एस115	79.11739	14.33166
116.	एस116	79.10478	14.31830
117.	एस117	79.07904	14.32250
118.	एस118	79.06370	14.33364
119.	एस119	79.03525	14.37273
120.	एस120	79.03129	14.38040
121.	एस121	79.04514	14.38288
122.	एस122	79.07929	14.39228
123.	एस123	79.07805	14.41529
124.	एस124	79.10255	14.44251
125.	एस125	79.09028	14.46111
126.	एस126	79.07978	14.44600
127.	एस127	79.05445	14.44449

IndiaCode

128.	एस128	79.03267	14.45735
129.	एस129	79.05346	14.44904
130.	एस130	79.05544	14.46131
131.	एस131	79.06375	14.46824
132.	एस132	79.05425	14.48190
133.	एस133	79.04851	14.52406
134.	एस134	79.06514	14.53713
135.	एस135	79.06415	14.55158
136.	एस136	79.08414	14.54366
137.	एस137	79.09404	14.54267
138.	एस138	79.08711	14.52466
139.	एस139	79.11066	14.47893
140.	एस140	79.12749	14.45894
141.	एस141	79.13165	14.45082
142.	एस142	79.14036	14.45280
143.	एस143	79.12848	14.47319
144.	एस144	79.11284	14.50150
145.	एस145	79.10433	14.54029
146.	एस146	79.11146	14.64243
147.	एस147	79.10770	14.65332
148.	एस148	79.11838	14.66243
149.	एस149	79.11739	14.66916
150.	एस150	79.12925	14.67592
151.	एस151	79.18966	14.36642
152.	एस152	79.16920	14.33411
153.	एस153	79.07706	14.39337
154.	एस154	79.09324	14.46466
155.	एस155	79.03280	14.43658
156.	एस156	79.06356	14.55113

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	बिंदु कोड	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	ई1	14.68722	79.14410

2	ई2	14.66054	79.15467
3	ई3	14.63125	79.15718
4	ई4	14.60949	79.16973
5	ई5	14.61786	79.18982
6	ई6	14.64548	79.18145
7	ई7	14.65218	79.18898
8	ई8	14.61200	79.28523
9	ई9	14.61953	79.30532
10	ई10	14.50738	79.33461
11	ई11	14.46470	79.38400
12	ई12	14.45214	79.39990
13	ई13	14.47390	79.40659
14	ई14	14.40611	79.49866
15	ई15	14.39188	79.53883
16	ई16	14.42703	79.60411
17	ई17	14.44126	79.60663
18	ई18	14.26801	79.60914
19	ई19	14.22951	79.58905
20	ई20	14.24207	79.52126
21	ई21	14.20357	79.52628
22	ई22	14.20440	79.50117
23	ई23	14.13494	79.48108
24	ई24	14.12657	79.44342
25	ई25	14.13745	79.40827
26	ई26	14.15000	79.38483
27	ई27	14.31237	79.29611
28	ई28	14.34083	79.32290
29	ई29	14.34752	79.31369
30	ई30	14.31153	79.25427
31	ई31	14.34083	79.18396
32	ई32	14.29731	79.17894
33	ई33	14.30568	79.04335

IndiaCode

34	ई34	14.37765	79.00485
35	ई35	14.44294	79.09022
36	ई36	14.42118	79.02996
37	ई37	14.45131	79.00569
38	ई38	14.47390	79.01825
39	ई39	14.47641	79.04503
40	ई40	14.49734	79.01908
41	ई41	14.54337	79.02661
42	ई42	14.56011	79.07097
43	ई43	14.55509	79.08771
44	ई44	14.66724	79.10361
45	ई45	14.68398	79.11784

IndiaCode

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिला का नाम	संभाग का नाम	श्रेणी	ग्राम के नाम	मण्डल के नाम
1	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेलोरे	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेलोरे	अतमाकुर	गोगुलापल्ली	ए.सागरम
2				चप्पारल्लापल्ली	ए.सागरम
3				श्रीसैलापुरम	ए.सागरम
4				कन्नापल्ली	ए.सागरम
5				गुदीगुन्ता	ए.सागरम
6				येगुरावरापल्ली	ए.सागरम
7				गोविदापल्ली	ए.सागरम
8				पदनातिकामभामपाडु	ए.सागरम
9				सोमासिला	ए.सागरम
10			रापुर	राजुपलेम	कलुवोय
11				प्रोजेक्ट कॉलोनी	कलुवोय
12				कुल्लुरु	कलुवोय
13				मदन्नागरीपल्ली	कलुवोय
14				चिंतालापलेम	कलुवोय
15				वेंकटारामाराजुपेटा	कलुवोय
16				कोटुरुपल्ली	कलुवोय
17				कोल्लापनैदुपल्ली	चिजेरला
18				तेगाचेरला	रापुरु
19				संगम	संगम
20				पेरामाकोन्डा	कलुवोय
21				पार्वथीपुरम	पोदलाकुर
22				गरीमनपेन्टा	रापुर
23				वेकटापुरम	पोदलाकुर
24				पुलिकोर्रु	पोदलाकुरु
25				रामाकुरु	रापुर
26				गोनुपल्ली	रापुर
27				चकलापल्ली	रापुर
28				चल्लातुरु	रापुर

IndiaCode

क्र. सं.	जिला का नाम	संभाग का नाम	श्रेणी	ग्राम के नाम	मण्डल के नाम
29				अदुरुपल्ली	चिजेरला
30				सनयापलेम	रापुर
31				गुन्दावोलु	रापुर
32				वेपीनापी	रापुर
33				रामदेवीपल्ली	रापुर
34				गंदुरुपल्ली	रापुर
35				येपुरु	रापुर
36				तुरुपुवेलिगोनु	रापुर
37				पदमारावालिगोनु	रापुर
38				तुरावारिपलेम	रापुर
39				पेरलाकुन्ता	पेलगालुर
40				मरलाबयालु	पेलगालुर
41				तिरुनामपल्ली	पेलगालुर
42				कोटीचिन्नाय्यागरीपल्ली	पेलगालुर
43		राजमपेट	चितवेल	चिन्तालाचेलिका	चितवेल
44				राजाकुन्ता	चितवेल
45	वाईएसआर कडपा			सलीवेन्द्रा	चितवेल
46				अनुमपल्ली	चितवेल
47				बेतयापल्ली	गोपावरम
48				दिन्नेमीदापलान्नी	गोपावरम
49		प्रोद्यात्तुर	बदवेल श्रेणी	बेदुसुपल्ली	गोपावरम
50				रचयापेटा	गोपावरम
51				अगराहराम	गोपावरम
52				पोलिरेड्डीपल्ली	गोपावरम
53				सुन्दरापल्ली	गोपावरम
54				बुचेनापल्ली	गोपावरम
55				रामापुरम	गोपावरम
56		कडपा		अदुसुवरिपल्ली	गोपावरम
57			वोनतिमित्ता	चिन्नाराचापल्ले	वोनतिमित्ता
58			सिदौत	गोपयागरीपल्ले	अतलुर
59				पिदाथला	अतलुर

India Code

क्र. सं.	जिला का नाम	संभाग का नाम	श्रेणी	ग्राम के नाम	मण्डल के नाम
60				अकुथोतपल्ले	अतलुर
61				वरिकुन्ता	अतलुर
62				सितापुरम	वोनतिमित्ता
63				सलाबाद	वोनतिमित्ता
64				गोल्लापल्ले	वोनतिमित्ता
65			वोनतिमित्ता	चेरलापल्ले	वोनतिमित्ता
66				नदीमापल्ले	वोनतिमित्ता
67				चिंतालाकुन्ता	नंदालुर
68				मल्लाय्यापल्ले	वोनतिमित्ता
69			सिदौत	चिंताकायलाप्ल्ले	अतलुर
70				मरायीगरीपल्ले	वोनतिमित्ता
71				कोनराजुपल्ले	वोनतिमित्ता
72				कोमारुनीपल्ले	वोनतिमित्ता
73				मल्लाम्मापेटा	वोनतिमित्ता
74				मन्टापामपल्ले	वोनतिमित्ता
75			वोनतिमित्ता	येर्राचेरुवुपल्ले	वोनतिमित्ता
76				अम्मावारिपल्ले	वोनतिमित्ता
77				कोन्दाराजुपल्ले	वोनतिमित्ता
78				अचाम्मापेटा	वोनतिमित्ता
79				वनटीगरीपल्ले	वोनतिमित्ता
80			सिदौत	बोदीसेट्टीपल्ली	अतलुर
81				चित्तीमवरिपल्ले	अतलुर
82				चिन्तावरिपल्ले	वोनतिमित्ता
83				वेलुगुपल्ले	वोनतिमित्ता
84				मलाकटीपल्ले	वोनतिमित्ता
85			वोनतिमित्ता	पोलुबुचय्यागरीपल्ले	वोनतिमित्ता
86				मंगमपेटा	वोनतिमित्ता
87				रामाचंदरापुरम	वोनतिमित्ता
88				वेंगमपल्ले	वोनतिमित्ता

egazette.nic.in

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अधीन पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2020

S.O. 2936(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 36(E), dated the 2nd January, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 3rd January, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary spreading over an area of 1030.85 square kilometres is located in two revenue districts (Sri Potti Sriramulu Nellore District Nellore and Kadapa) in the State of Andhra Pradesh. The Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary is located between two important hill passes known as "Badvel – Sri Potti Sriramulu Nellore - Nellore road" passing on the North, Rapur – Chitvel road passing on the South, Podalakur-Somasila road on the East, Kadapa – Rajampet road on the South and Sidhavatam – Badvel road on the West. This Sanctuary spreads in three forest circles such as Guntur, Kurnool and Wildlife Management Circle, Tirupathi, four forest divisions i.e. Nellore, Rajampet, Kadapa and Proddatur;

AND WHEREAS, the Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary lies between 14.161530 and 14.677480 N latitudes and 78.984510 and 79.629500 E longitudes. Two big water bodies *viz.*, the Kandaleru Reservoir and Somasila Reservoir are exists inside the Sanctuary;

AND WHEREAS, the Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary had been declared as Wildlife Sanctuary under the provision of section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) *vide* Government of Andhra Pradesh, the Environment Forest and Science and Technology, (For III) G.O M.s. No. 106, dated the 15th September 1997;

AND WHEREAS, this Sanctuary is a domain of rich habitat for unexplored bio- diversity, especially many endangered flora and its associated fauna. The Sanctuary is ornamented with mosaic of geo-morphological features supporting variety of flora and fauna. Most of the Sanctuary possess hilly terrain with plateaus, ridges, gorges and deep valleys which support dry deciduous forests with an under growth of grasses. Dry thorny and dry evergreen forests surround the fringe;

AND WHEREAS, the forests of Nellore, Rajampeta, Kadapa and Proddatur divisions are comprised of mainly superior dry deciduous types. The most common species occurring are *Pterocarpus santalinus*, *Anogeissus latifolia*, *Terminalia tomentosa*, *Pterocarpus marsupium*, *Hardwick iabinata*, *Chloroxylon swietenia*, *Lannea grandis*, *Boswellia serrata*, *Dalbergia paniculata*, *Zizyphus xylopyrus* and *Lagerstroemia parviflora*, etc.;

AND WHEREAS, the topography of the Sanctuary enables the occurrence of varied micro and macro habitats to shelter variety of fauna. The upper plateaus, dry tracts of fringe areas with lofty hill slopes in the centre, numerous hill streams, valleys and deep gorges, rock shelters, wood lands, bamboo forests contribute to the existence of a variety of wildlife species. Under the zoogeographic classification, this area comes under Indo-Malayan region (Cis-Gangetic sub-region) native to the true Indian fauna like the black buck (*Antilope cervicapra*) and four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*);

AND WHEREAS, among the most obvious keystone species are top predators like anther (*Panthera pardus*), wild dog (*Lycaon pictus*), etc. Bats are another example of keystone species of this area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

AND WHEREAS, requisite additional information for finalisation of the draft notification was submitted by the State Government on the 28th March, 2019. However, the process of final notification was halt for few days due to Model Code of Conduct from the Election Commission of India and the above draft notification completed 545 days on 1st July, 2019. As a result, the State Government requested to consider the proposal of publication of final notification exercising powers under sub-rules (4) of the rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 2 kilometres to 5 kilometres around the boundary of Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary, in Sri Potti Sriramulu Nellore and Kadapa districts in the State of Andhra Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) without the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest; and details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 2 kilometres to 5 kilometres around the boundary of Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 909.6147 square kilometres.

 (2) The boundary description of Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The map of the Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II.**

 (4) List of geo-coordinates of the boundary of Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

 (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Urban Development;
(vii) Public Works Department.
(viii) Revenue;
(ix) State Pollution Control Board;
(x) Rural Development;
(xi) Irrigation and Flood Control;
(xii) Agriculture; and
(xiii) Panchayati Raj.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-
(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the

Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

IndiaCode

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006

and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills and wood based industries.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or up to the extent of Eco-sensitive Zone

		whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents; Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.

22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable laws and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management or Bio-medical Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
29.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
C. Promoted Activities		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
(i)	The Collector, Kadappa YSR District	Chairman, ex officio
(ii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	Divisional Forest Officer (Wildlife), Proddatur	Member;
(iv)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;

(v)	Senior Town Planner of the Area	Member;
(vi)	Representative from Andhra Pradesh, State Pollution Control Board	Member;
(vii)	A expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(viii)	Deputy Conservator of Forests (In-charge of the Sanctuary)	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V**.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F.No. 25/34/2016-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF SRI PENUSILA NARASIMHA WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE ANDHRA PRADESH

The boundary of the eco-sensitive zone of Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary starts at Station No. 1 located at North-West corner and it runs along the boundary of eco-sensitive zone of Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary passing through four divisions *viz.*, Proddatur, SPSR Nellore, Rajampet and YSR Kadapa as detailed hereunder.

North (Part I): The Eco-sensitive Zone boundary line starts from Station No. 1 of Proddatur division as shown on the map. The GPS reading of Station No. 1 is 14.68722^0 N & 079.14410^0 E and runs towards East direction upto Station No. 5 in Proddatur Division. The GPS reading of Station No. 5 is 14.61786^0 N & 079.18982^0 E.

North (Part II): The Eco-sensitive Zone boundary line starts at Station No. 5 in SPSR Nellore division in the North with GPS reading 14.61786^0N & 079.18982^0 E and runs towards North direction upto Station No. 7 along the district boundary between YSR Kadapa and SPSR Nellore, which is also the division boundary. Thence the boundary runs from Station No. 7 towards East and reaches Station No. 9 in the North-East corner.

East: The Eco-sensitive Zone boundary runs from Station No. 9 whose GPS reading is 14.61953^0N & 079.30532^0E and proceeds towards South direction upto Station No. 18 in SPSR Nellore division. The GPS readings of Station No.18 are 14.26801^0 N & 079.60914^0 E.

South (Part I): The Eco-sensitive Zone boundary leaves Station No. 18 and proceeds towards west upto Station No. 24 whose GPS is 14.12657^0N & 079.44342^0E. Finally meets the district boundary of YSR Kadapa at Station No. 24, which is also the division boundary of Rajampet division.

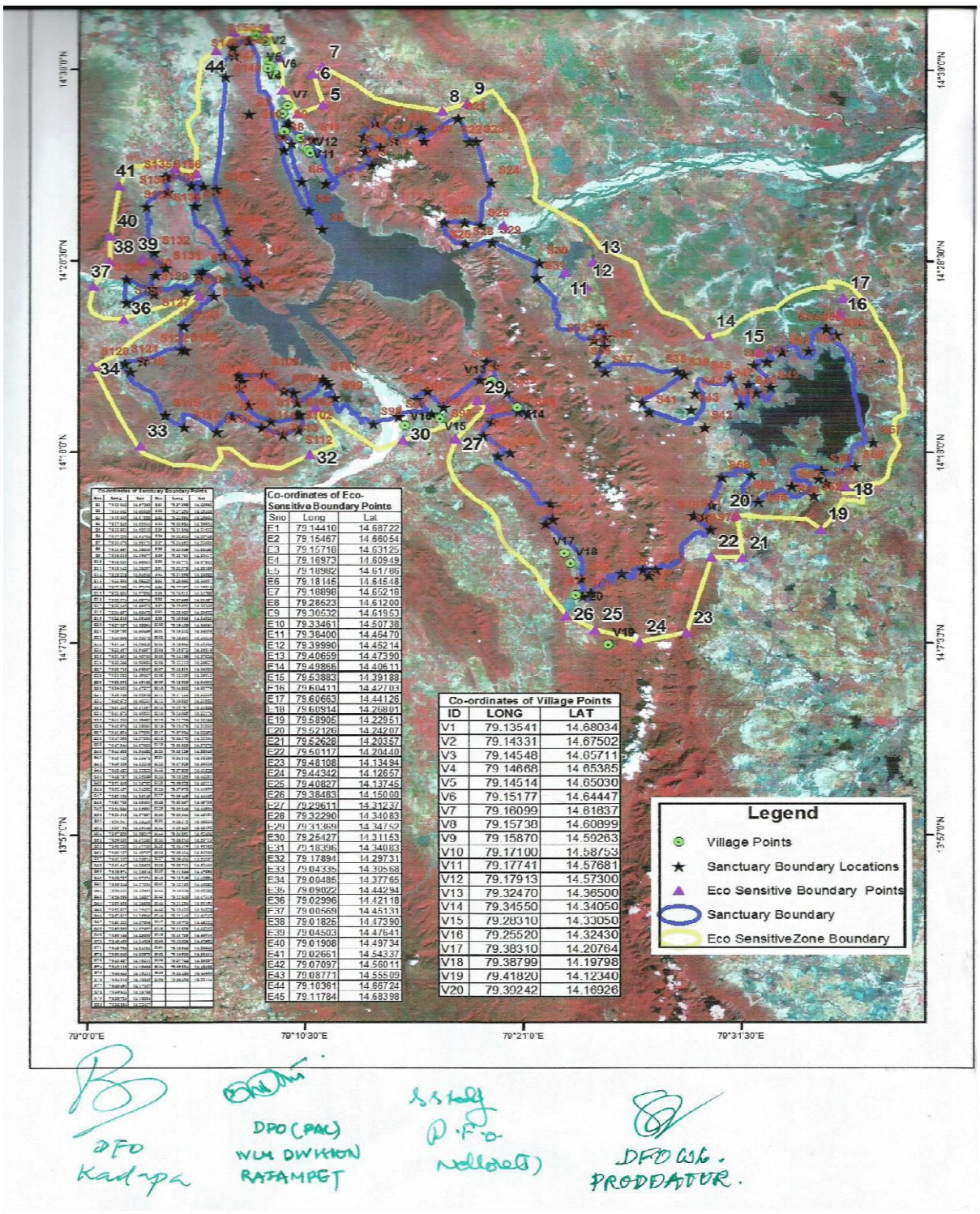
South (Part II): The Eco-sensitive Zone boundary line enters Rajampeta in the South direction at Station No. 24 and runs along the District boundary. Thence the boundary runs along the South-West direction, and finally meets the YSR Kadapa division between Stations 30 and 31.

South (Part III): The boundary line of the eco-sensitive zone enters YSR Kadapa division between Station Nos. 30 and 31 and proceeds towards Western direction upto Station No. 33 GPS reading is 14.30568^0 N & 079.04335^0 E.

West: The Eco-sensitive Zone boundary line starts at Station No. 33 in the Western direction runs towards North direction. The boundary line runs in the Northern direction and reaches the station No.45. The Eco-sensitive Zone boundary line ends at station No. 45 in Proddatur division whose GPS reading is 14.68398^0N & 079.11784^0E and meets Station No. 1 by closing the boundary.

ANNEXURE- II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRI PENUSILA NARASIMHA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SRI PENUSILA NARASIMHA WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Point Code	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1.	S1	79.13042	14.67563
2.	S2	79.13042	14.60849
3.	S3	79.15845	14.57555
4.	S4	79.17840	14.52044
5.	S5	79.18901	14.50318
6.	S6	79.17238	14.54704
7.	S7	79.16478	14.58173
8.	S8	79.15687	14.58853
9.	S9	79.16019	14.59677
10.	S10	79.16241	14.60041
11.	S11	79.18142	14.58537
12.	S12	79.19218	14.54546
13.	S13	79.22844	14.56225
14.	S14	79.22369	14.57476
15.	S15	79.23604	14.57856
16.	S16	79.22274	14.58774
17.	S17	79.23145	14.60073
18.	S18	79.24697	14.58473
19.	S19	79.26819	14.59455
20.	S20	79.27057	14.58394
21.	S21	79.29780	14.60469
22.	S22	79.30699	14.58378
23.	S23	79.31237	14.58426
24.	S24	79.32457	14.54657
25.	S25	79.31601	14.50730
26.	S26	79.30366	14.50983
27.	S27	79.28719	14.50967
28.	S28	79.30382	14.49067
29.	S29	79.32552	14.49162
30.	S30	79.36321	14.47277
31.	S31	79.36146	14.45916
32.	S32	79.40675	14.40231
33.	S33	79.41230	14.41497
34.	S34	79.41673	14.40531
35.	S35	79.41530	14.39692
36.	S36	79.40976	14.38061

IndiaCode

37.	S37	79.41594	14.37301
38.	S38	79.47390	14.37381
39.	S39	79.47944	14.37032
40.	S40	79.44603	14.34482
41.	S41	79.45125	14.33674
42.	S42	79.49559	14.32218
43.	S43	79.48482	14.33833
44.	S44	79.48767	14.35369
45.	S45	79.51649	14.36762
46.	S46	79.52457	14.34292
47.	S47	79.53106	14.36145
48.	S48	79.53708	14.35401
49.	S49	79.54864	14.35891
50.	S50	79.53518	14.37887
51.	S51	79.54547	14.38235
52.	S52	79.55798	14.39138
53.	S53	79.57905	14.39217
54.	S54	79.59330	14.41260
55.	S55	79.59330	14.41260
56.	S56	79.60137	14.40737
57.	S57	79.63107	14.30914
58.	S58	79.61647	14.28638
59.	S59	79.58974	14.28316
60.	S60	79.58727	14.27574
61.	S61	79.59346	14.27054
62.	S62	79.58331	14.25991
63.	S63	79.56599	14.26807
64.	S64	78.55659	14.26658
65.	S65	79.53927	14.25421
66.	S66	79.52912	14.25866
67.	S67	79.53333	14.27895
68.	S68	79.50958	14.27697
69.	S69	79.50166	14.25099
70.	S70	79.49498	14.24035
71.	S71	79.48706	14.24134
72.	S72	79.50042	14.22873
73.	S73	79.45687	14.19211
74.	S74	79.45118	14.18666
75.	S75	79.44623	14.19211
76.	S76	79.42916	14.18839
77.	S77	79.40491	14.17107

IndiaCode

78.	S78	79.39823	14.16786
79.	S79	79.39724	14.18394
80.	S80	79.36854	14.23417
81.	S81	79.37398	14.23862
82.	S82	79.37250	14.25248
83.	S83	79.32994	14.29603
84.	S84	79.33984	14.29924
85.	S85	79.31856	14.31533
86.	S86	79.32524	14.32745
87.	S87	79.34652	14.33685
88.	S88	79.35369	14.33463
89.	S89	79.33761	14.35417
90.	S90	79.32771	14.37842
91.	S91	79.32078	14.38189
92.	S92	79.31559	14.36580
93.	S93	79.28664	14.34057
94.	S94	79.27352	14.35516
95.	S95	79.26511	14.34799
96.	S96	79.27699	14.33487
97.	S97	79.25051	14.33240
98.	S98	79.23022	14.32522
99.	S99	79.19905	14.34923
100.	S100	79.19459	14.36061
101.	S101	79.19212	14.36358
102.	S102	79.16861	14.34428
103.	S103	79.16663	14.35343
104.	S104	79.15872	14.35516
105.	S105	79.14189	14.37026
106.	S106	79.12210	14.36927
107.	S107	79.12531	14.36382
108.	S108	79.12309	14.35813
109.	S109	79.13026	14.34230
110.	S110	79.14832	14.32770
111.	S111	79.17133	14.33339
112.	S112	79.16985	14.31953
113.	S113	79.15797	14.31508
114.	S114	79.14065	14.32176
115.	S115	79.11739	14.33166
116.	S116	79.10478	14.31830
117.	S117	79.07904	14.32250
118.	S118	79.06370	14.33364

IndiaCode

119.	S119	79.03525	14.37273
120.	S120	79.03129	14.38040
121.	S121	79.04514	14.38288
122.	S122	79.07929	14.39228
123.	S123	79.07805	14.41529
124.	S124	79.10255	14.44251
125.	S125	79.09028	14.46111
126.	S126	79.07978	14.44600
127.	S127	79.05445	14.44449
128.	S128	79.03267	14.45735
129.	S129	79.05346	14.44904
130.	S130	79.05544	14.46131
131.	S131	79.06375	14.46824
132.	S132	79.05425	14.48190
133.	S133	79.04851	14.52406
134.	S134	79.06514	14.53713
135.	S135	79.06415	14.55158
136.	S136	79.08414	14.54366
137.	S137	79.09404	14.54267
138.	S138	79.08711	14.52466
139.	S139	79.11066	14.47893
140.	S140	79.12749	14.45894
141.	S141	79.13165	14.45082
142.	S142	79.14036	14.45280
143.	S143	79.12848	14.47319
144.	S144	79.11284	14.50150
145.	S145	79.10433	14.54029
146.	S146	79.11146	14.64243
147.	S147	79.10770	14.65332
148.	S148	79.11838	14.66243
149.	S149	79.11739	14.66916
150.	S150	79.12925	14.67592
151.	S151	79.18966	14.36642
152.	S152	79.16920	14.33411
153.	S153	79.07706	14.39337
154.	S154	79.09324	14.46466
155.	S155	79.03280	14.43658
156.	S156	79.06356	14.55113

IndiaCode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Point Code	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	E1	14.68722	79.14410
2	E2	14.66054	79.15467
3	E3	14.63125	79.15718
4	E4	14.60949	79.16973
5	E5	14.61786	79.18982
6	E6	14.64548	79.18145
7	E7	14.65218	79.18898
8	E8	14.61200	79.28523
9	E9	14.61953	79.30532
10	E10	14.50738	79.33461
11	E11	14.46470	79.38400
12	E12	14.45214	79.39990
13	E13	14.47390	79.40659
14	E14	14.40611	79.49866
15	E15	14.39188	79.53883
16	E16	14.42703	79.60411
17	E17	14.44126	79.60663
18	E18	14.26801	79.60914
19	E19	14.22951	79.58905
20	E20	14.24207	79.52126
21	E21	14.20357	79.52628
22	E22	14.20440	79.50117
23	E23	14.13494	79.48108
24	E24	14.12657	79.44342
25	E25	14.13745	79.40827
26	E26	14.15000	79.38483
27	E27	14.31237	79.29611
28	E28	14.34083	79.32290
29	E29	14.34752	79.31369
30	E30	14.31153	79.25427
31	E31	14.34083	79.18396
32	E32	14.29731	79.17894
33	E33	14.30568	79.04335
34	E34	14.37765	79.00485
35	E35	14.44294	79.09022
36	E36	14.42118	79.02996
37	E37	14.45131	79.00569
38	E38	14.47390	79.01825

IndiaCode

39	E39	14.47641	79.04503
40	E40	14.49734	79.01908
41	E41	14.54337	79.02661
42	E42	14.56011	79.07097
43	E43	14.55509	79.08771
44	E44	14.66724	79.10361
45	E45	14.68398	79.11784

IndiaCode

ANNEXURE-IV

`LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SRI PENUSILA NARASIMHA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of the District	Name of the Division	Range	Name of the Village	Name of the Mandal
1	Sri Potti Sriramulu Nellore	Sri Potti Sriramulu Nellore	Atmakur	Gogulapalli	A.Sagaram
2				Chapparallapalli	A.Sagaram
3				Srisailapuram	A.Sagaram
4				Kannpalli	A.Sagaram
5				Gudigunta	A.Sagaram
6				Yeguravarapalli	A.Sagaram
7				Govidapalli	A.Sagaram
8				Padamatikambhampadu	A.Sagaram
9				Somasila	A.Sagaram
10			Rapur	Rajuapalem	Kaluvoy
11				Project Colony	Kaluvoy
12				Kulluru	Kaluvoy
13				Madannagaripalli	Kaluvoy
14				Chintalapalem	Kaluvoy
15				Venkataramarajupeta	Kaluvoy
16				Koturupalli	Kaluvoy
17				Kollapanaidupalli	Chejerla
18				Tegacherla	Rapuru
19				Sangam	Sangam
20				Peramakonda	Kaluvoy
21				Parvathipuram	Podalakur
22				Garimanapenta	Rapur
23				Vekatapuram	Podalakur
24				Pulikorru	Podalakuru
25				Ramakuru	Rapur
26				Gonupalli	Rapur
27				Chakalapalli	Rapur
28				Challaturu	Rapur
29				Adurupalli	Chejerla
30				Sanayapalem	Rapur
31				Gundavolu	Rapur

IndiaCode

Sl. No.	Name of the District	Name of the Division	Range	Name of the Village	Name of the Mandal
32				Vepinapi	Rapur
33				Ramdevipalli	Rapur
34				Gandurupalli	Rapur
35				Yepuru	Rapur
36				Turupuveligonu	Rapur
37				Padamaraveligonu	Rapur
38				Turravaripalem	Rapur
39	YSR Kadapa	Rajampet	Chitvel	Perlakunta	Penagalur
40				Marlabayalu	Penagalur
41				Tirunampalli	Penagalur
42				Kotichiinnayyagaripalli	Penagalur
43				Chintalachelika	Chitvel
44				Rajakunta	Chitvel
45				Salivendra	Chitvel
46				Anumpalli	Chitvel
47		Proddaturu	Badvel range	Betayapalli	Gopavaram
48				Dinnemeedaplalli	Gopavaram
49				Bedusupalli	Gopavaram
50				Rachayapeta	Gopavaram
51				Agraharam	Gopavaram
52		Kadapa		Polireddypalli	Gopavaram
53				Sundrapalli	Gopavaram
54				Buchenapalli	Gopavaram
55				Ramapuram	Gopavaram
56				Adusuvaripalli	Gopavaram
57			Vontimitta	Chinnarachapalle	Vontimitta
58			Sidhout	Gopayyagaripalle	Atlur
59				Pidathala	Atlur
60				Akuthotapalle	Atlur
61				Varikunta	Atlur
62			Vontimitta	Sitapuram	Vontimitta
63				Salabad	Vontimitta
64				Gollapalle	Vontimitta
65				Cherlapalle	Vontimitta

Indiacode

Sl. No.	Name of the District	Name of the Division	Range	Name of the Village	Name of the Mandal
66				Nadimapalle	Vontimitta
67				Chintalakunta	Nandalur
68				Mallayyapalle	Vontimitta
69			Sidhout	Chintakayalapalle	Atlur
70			Vontimitta	Marayigaripalle	Vontimitta
71				Konarajupalle	Vontimitta
72				Komarunipalle	Vontimitta
73				Mallammapeta	Vontimitta
74				Mantapampalle	Vontimitta
75				Yerracheruvupalle	Vontimitta
76				Ammavaripalle	Vontimitta
77				Kondarajupalle	Vontimitta
78				Achammapeta	Vontimitta
79				Vantigaripalle	Vontimitta
80			Sidhout	Bodisettipalle	Atlur
81				Chittimvaripalle	Atlur
82			Vontimitta	Chintavaripalle	Vontimitta
83				Velugupalle	Vontimitta
84				Malakatipalle	Vontimitta
85				Polubuchayyagaripalle	Vontimitta
86				Mangampeta	Vontimitta
87				Ramachandrapuram	Vontimitta
88				Vengampalle	Vontimitta

indiacode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.29 17:34:27 +05'30'